भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 887
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

स्वाधार गृह योजना

887. **श्री सुधाकर सिंहः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वाधार गृह योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और विपदाग्रस्त महिलाओं को आश्रय और सहायता प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण देश में स्थापित किए गए ऐसे कितने गृह कार्यशील हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और इसमें कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है;
(ग) क्या संभावित लाभार्थियों के बीच अपर्याप्त सुविधाओं और निधि के संवितरण से जुड़ी समस्याओं तथा योजना के बारे में जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या अल्पसेवित क्षेत्रों, विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में जहां स्वाधार गृह नेटवर्क जैसी सुविधाओं की अत्यधिक आवश्यकता है, इस नेटवर्क का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): व्यापक 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए 'स्वाधार गृह' और दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए 'उज्जवला गृह' की पूर्ववर्ती योजनाओं को मिला दिया गया है और इसे 'शक्ति सदन योजना' के रूप में जाना जाता है, जो दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटपूर्ण परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और

पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना है ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें।

शक्ति सदन योजना एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है। योजना के तहत किराए के परिसर में शक्ति सदन चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ और अपनी विभिन्न योजनाओं अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) और महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) के माध्यम से जुड़ता है। जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुलिस, ओएससी, अस्पताल, कानूनी सेवाओं आदि जैसे उचित प्राधिकरणों से जोड़कर सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना है। इन उपायों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में जागरूकता प्रसार करने की दिशा में काम किया जाता है।

जहां तक बिहार राज्य का प्रश्न है, यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, पीएबी ने बिहार राज्य सरकार से प्रत्येक जिले में एक-एक 38 नए शक्ति सदन स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस संबंध में, बिहार राज्य सरकार को 3,02,89,800/- रुपये की निधि जारी की गई है।

वर्तमान में देश भर में 404 शक्ति सदन कार्यरत हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान शक्ति सदन के लिए जारी की गई निधि और लाभान्वित महिलाओं की संख्या इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**2021-22**		**2022-23***		**2023-24**	
	जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में)^	**लाभार्थियों की संख्या****	**जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में)**	**लाभार्थियों की संख्या****	**जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में)**	**लाभार्थियों की संख्या****
कुल	1874.87	32549	1544.83	32113	11897.97	24753

^ पूर्ववर्ती स्वाधार गृह और उज्ज्वला गृह योजनाओं का बजट वित्त वर्ष 2021-22 में विलय कर दिया गया
*01.04.2022 से शक्ति सदन के रूप में ज्ञात।
** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

****